

[श्री भुपेन्द्र सिंह भान]

व्यक्ति ने कोढ़ी, लावारिश, लूले-लंगड़े, जिनको कोई संभालने वाला नहीं था, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था, जिनके जन्मों की गंदगी को कोई साफ करने वाला नहीं था, जिन अपाहिजों को कोई संभालने वाला नहीं था, मेटली रिटार्टेड, जिनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, उनको संभालने वाले महान व्यक्ति अब हमारे बीच में नहीं हैं। जिस महान व्यक्ति ने धर्म, जाति, इलाका, इन सभी को एक तरफ रखते हुए, सिर्फ मानवता के आधार पर मानवता की सेवा की, जो अंदर और बाहर से सच्चा था, फकबड़ था, भगत था, दरवेश था, सादा तबीयत वाला बढिया खिलाड़ी था, जो दुनियादारी के बंधनों से मुक्त था और जिसने प्रदूषण के संबंध में दुनिया में पंपलेट बांट-बांट कर दिये, दिखाये, जिसने बहुत पहले से कि एटम क्या नुकसान कर सकता है, इसके संबंध में जानकारी दी, सात दशकों से ऊपर जिस व्यक्ति ने मानवता की अपनी सुख-शांति को एक तरफ रखते हुए, अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगा दिया वह व्यक्ति जो लुधियाना, पंजाब में समराला तहसील के राखेवाल गांव में 3 जून, 1904 को पैदा हुआ और 5 अगस्त, 1992 को हम से बिछड़ गया, उस व्यक्ति की याद में हम सभी को, मैं समझता हूँ कि उसकी शलाका करते हुए, सारा हाउस अगर इसमें शामिल हो तो उसको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना बाजिब होगा। यहां तक कि वह व्यक्ति इस समय का हमारा मदर टैरेसा था; इसलिये उसको नोबल पुरस्कार देने के लिये भी रेकमेंड करना चाहिये और उसके गांव में एक मेडिकल कालेज और एक इंजीनियरिंग कालेज, क्योंकि उसने हमेशा बीमारों की सेवा की, इसलिये ये चीजें हमें वहां देनी चाहियें। अगर सरकार उस महान व्यक्ति को यह दे दे और उस गांव में ये कालेज खोल दें तो उस व्यक्ति के प्रति एक बड़ा ट्रिब्यूट होगा, यह मैं आपके माध्यम से सरकार और हाउस से गुजारिश करना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) :

डा० ईश्वर चन्द्र गुप्ता।

श्री लक्ष्मीराम अप्पवालः (राजस्थान) :
माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रथम भाषण है।

..Prevailing discontentment among Foodgrain merchants on account of extension of the essential commodities (special provisions) Act 1981...

डा० ईश्वर चन्द्र गुप्ता (उत्तर प्रदेश) :
उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक अति आवश्यक महत्व का विषय उठाना चाहता हूँ। महोदय, भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। किसी भी स्वतंत्र देश में उसके नागरिकों के लिये दोहरी न्याय व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बड़े खेद के साथ सरकार का ध्यान आवश्यक वस्तु अधिनियम के विशेष संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किस प्रकार किया जा रहा है, इस और आकृष्ट करना चाहता हूँ।

महोदय, वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम पहली बार लागू किया गया था, जिसमें इसके उल्लंघन करने वालों से पूरी तरह से निपटने के लिये सरकार के पास पर्याप्त अधिकार हैं। इसके पश्चात् भी 1981 में स्थायी रूप से विशेष संशोधन किये गये। उस समय देश में सूखा था।

उस समय शंकर, चावल और गेहूं की कमी थी। यह वस्तुयें सामान्य जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें, इस नाते से यह विशेष संशोधन लाया गया था परन्तु आज यह सभी वस्तुयें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए ऐसे किसी भी प्रावधान को आवश्यकता नहीं है। यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है कि खाद्यान्न वस्तुओं का व्यापार करने वाले सरकार के नियंत्रित मूल्यों पर कोई खरीद नहीं करते बल्कि वे खुले बाजार में खाद्य वस्तुओं को खरीदते हैं। फिर भी उन पर विशेष अधिनियम लगाने की क्या आवश्यकता है? इस कानून के अंतर्गत इन व्यापारियों पर राजदोहियों की तरह समरी ट्रायल के रूप में विशेष अदालतों में केस चलाए जाते हैं। इनकी

जमानत भी नहीं होती है। छोटी सी तकनीकी भूल के कारण सभी भागीदार जिनमें बच्चे और महिलायें भी होती हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उनके साल को बाजार मूल्य पर न बेच करके सरकारी भावों पर बेचा जाता है। इस अधिनियम में न उन्हें अपील की मोहलत है और न दलील की। वकील भी नहीं कर सकते हैं अर्थात् अधिनियम में कानून का राज नहीं जंगल का राज होता है। मैं अब कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 1990-91 में टोटल रेड जो सरकार ने किए उनकी संख्या है 1,34,895। जितने लोग अरेस्ट हुए उनकी संख्या है 5900 और फाइनली जिनको सजा मिली उनकी संख्या है केवल 6031 इसी प्रकार से वर्ष 1991-92 में 1,19,478 छापे मारे गए, 4156 लोग अरेस्ट हुए और फाइनली 288 लोगों को सजा मिली। आप देखेंगे कि इस कानून के अंतर्गत केवल प्वाइंट दो परसेंट लोगों को ही सजा मिली और 99.8 प्रतिशत लोगों को बेकार में परेशान किया गया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम विरोध में 28 जुलाई को एक व्यापक आन्दोलन वोट क्लब पर हुआ जिसमें एक लाख लोगों ने भाग लिया। सरकार ने इस अधिनियम को आगे चलाने के लिए जिसकी अवधि 30 तारीख को समाप्त हो रही है, इसको संसद की कार्यसूची में रखा था लेकिन इस आन्दोलन को देखते हुए शायद उन्होंने इसे कार्यसूची से हटा लिया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि संसद का सत्र समाप्त होने के बाद इस अधिनियम को आर्डिनेंस के जरिए लयेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे संसद की बड़ी भारी अवमानना होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि वह यह आश्वासन दे कि इस तरह का कोई कानून जिसकी अवधि बढ़ाना चाहते हैं आर्डिनेंस के जरिए से नहीं बढ़ायेंगे और यदि उन्हें कानून की अवधि को बढ़ाना ही है तो अगले सत्र में उसकी

एक एक धारा पर विचार करके कानून बनायेंगे। मैं समझता हूँ सरकार यह आश्वासन अवश्य देगी। धन्यवाद।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to associate myself with the hon. Member who spoke before me. When this Act was enacted in 1955, it was required during those days. But now it has become the source of corruption in revenue departments for those who are ready. Therefore, it must be repeated and there must be liberty so far as the market is concerned.

Self-Immolation bid by a medico against capitation fee in Andhra Pradesh

DR. VELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Sir, you are aware that all the medical colleges, teaching hospitals and the engineering colleges in Andhra Pradesh are closed for the last one month. These students are on a war-path and about 30,000 students today went in a procession to the State Assembly at Hyderabad. And a 4th-year medical college student at Hyderabad, by name Mr. G. Srinivasa Rao, who happened to be the General Secretary of a Students' Union, protesting against the capitation fee, during the procession attempted self-immolation at Hyderabad. One fine morning we have got twelve medical colleges and eight dental colleges in the State which are contrary to the norms of the Government of India and the Medical Council of India. Sir, it was on the 25th October of 1988 that the then Minister for Health, Mr. Motilal Vohra advised all the State Governments not to allow any medical colleges in the private sector and not to enhance the number of seats. He mentioned in his letter that since the Medical Council of India expressed its satisfaction that in accordance with the recommendations that it had made, the Government had brought forward a Bill which was